UPSH010037872026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, शाहजहाँपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1338/2026

C.N.R. No.-UPSH010037872026

सलमान खाँ आयु करीब 35 वर्ष पुत्र शमीम खाँ,

निवासी मोहल्ला मुगलान, थाना कटरा, जिला शाहजहाँपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

मुकदमा अपराध संख्या–145/2026

धारा–109(1), 115(2), 125 बी०एन०एस०

थाना–कटरा, जिला–शाहजहाँपुर।

18–06–2026 **आदेश**

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त सलमान खाँ की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–145/2026, धारा–109(1), 115(2), 125 बी०एन०एस०, थाना–कटरा, जिला– शाहजहाँपुर के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी आरिस द्वारा दिनांक 20.05.2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कटरा पर दर्ज करायी गयी कि इब्राहिम खाँ उर्फ मन्नू को रजत खाँ, सलमान खाँ, ताहिर खाँ उर्फ गुड्डू व शमीम खाँ ने मिलकर मारा पीटा व धारदार हथियार से प्रार्थी के सिर पर वार किया व उसके मामा इब्राहिम के ऊपर भी वार किया तथा रजत ने उसके मामा जी कल्लू व इब्राहिम पर पिस्टल से व जान से मारने की नियत से फायर किया, जिसमें उसके मामा कल्लू और वे लोग बाल बाल बच गये तथा गुड्डू, रजत, शमीम खाँ व सलमान ने अपनी छत के ऊपर जाकर पथराव किया, जिससे उन लोगों को गंभीर चोटें आयी हैं। ये सभी दबंग किस्म के लोग हैं। रजत व गुड्डू पहले भी मोहल्ले में झगड़ा कर चुके हैं।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि वह निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। उसके विरुद्ध कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। काल्पनिक घटना तैयार कर फर्जी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। कथित दिनांक को शारिक व उसके मामा कल्लू व शब्बन व इशराक आदि ने तमंचों व तलवार से लैस होकर उसके चाच ताहिर पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की। ताहिर घर के अंदर भागे, तो घर के दरवाजे पर फायरिंग की तथा जबरन घर में घुस आये। ताहिर खाँ व पिता शमीम पर तलवारों से हमला कर दिया, जिसमें ताहिर खाँ व शमीम, बहन नाजिस खाँ को चोटें आयी हैं। उसके चाचा की ओर से थाना कटरा पर अ०सं०–144/26, धारा–109(1), 115(2) बी.एन.एस. में उसी दिन दर्ज

Digitally signed by SURESH KUMAR SHARMA
Date: 2026.06.18 16:26:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

करायी गयी है। कथित घटना उसके दरवाजे व घर के भीतर की है, जबकि वादी का घर उसके घर से एक किमी० दूरी पर है। मामले में हमलावर वादी पक्ष है। राजनीतिक दबाव से पुलिस द्वारा फर्जी रिपोर्ट दर्ज की गयी है। दर्शायी गयी चोटें बनावटी हैं, जिसे डाक्टर से साज करके बनवाया गया है। घटना में जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वादी पक्ष को दर्शायी गयी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। उसकी पूर्व में किसी मुकदमें में दोषसिद्धि नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी पक्ष के लोगों को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व गम्भीर चोटें पहुॅचायी गयी व उन पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

5. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्धान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा जमानत प्रार्थना पत्र एवं केस डायरी तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

In P. Chidambaram vs. Directorate of Enforcement, Criminal Appeal No. 1340 of 2019, decided on September 05, 2019, the Hon'ble Supreme Court has observed that– Ordinarily, arrest is a part of procedure of the investigation to secure not only the presence of the accused but several other purposes. Power u/s 438 Cr.P.C. is an extra ordinary power and the same has to be exercised sparingly. the privilege of the pre–arrest bail should be granted only in exceptional cases. .....Anticipatory bail is not be granted as a matter of rule and it has to be granted only when the Court is convinced that exceptional circumstances exist to resort to that extraordinary remedy.

आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के साथ मारपीट करते हुए सिर पर धारदार हथियार से वार करने, वादी के मामा कल्लू व इब्राहिम पर जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायर करने तथा छत पर जाकर पथराव करके उन्हें स्वेच्छया साधारण व गंभीर चोटें पहुँचाने का आक्षेप है। मेडिकल रिपोर्ट में चुटहैल/वादी के शरीर पर कुल 4 चोटें पायी गयीं हैं। अन्य किसी व्यक्ति को कोई जाहिरा चोट नहीं आयी है। वादी की चोट सं०–1– Laccerated wound present on left side frontal region of skull aprox–5.5x1 cm, 8 cm above LT eyebrow चोट सं०–2–Laccerated wound present on root of nose aprox–3x0.5 cm advise–x ray nose. चोट सं०–3– Abrasion present on left side lateral region of neck aprox–1x0.5 cm चोट सं०–4–Pain on left shoulder joint, moment restricted. अंकित है। LT shoulder Joint के

x–ray की सलाह दी गयी है। यद्यपि सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया है, परन्तु दौरान विवेचना वादी ने कथित घटना का समर्थन किया है। केस डायरी के पर्चा सं०–01 पर स्वतंत्र गवाहों धर्मेन्द्र, विकास शर्मा व फैजल का बयान अंकित किया गया है, जिन्होंने घटना वाले दिन दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के ऊपर लाठी, डंडे, तलवार व अवैध हथियारों से जान से मारने की नियत से हमला करने का कथन किया है। थाने की प्रस्तरवार आख्या में अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं०–347/23, धारा–307, 308, 323, 394, 506 भा०दं०सं० पंजीकृत होने का उल्लेख है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। प्रस्तुत मामला आपवादिक प्रवृत्ति का प्रतीत नहीं होता है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, मामले के गुणदोष पर विचार किये बिना आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त सलमान खाँ की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1338/2026 अन्तर्गत धारा– 109(1), 115(2), 125 बी०एन०एस० निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 18–06–2026

(सुरेश कुमार शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, शाहजहॉपुर।
जे0ओ0 नं0–यू0पी0 6080